(51)

M-5069 /16

न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा, म.प्र.

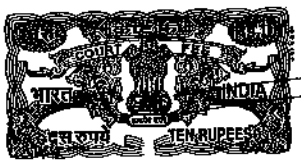

केतकी ---आवेदिका

बनाम

विजय वगैरह ---- अनावेदकगण

आवेदन पत्र बावत प्रकरण को पुनर्स्थापित कर सुनवाई में लिये जाने बावत

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 35 (3) म.प्र. भू–रा.सं.

मान्यवर,

आवेदन पत्र के आधार निम्न हैं:–

1– यह कि उक्त उन्मान का प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, जो आज दिनांक को नियत था।

2– यह कि आवेदक/अधिवक्ता अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण पुकार के समय मान्. न्यायालय के समक्ष उप. नहीं हो सके, ऐसी स्थिति में मान0 न्याया. द्वारा प्रकरण को अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया।

3– यह कि आज ही पुनर्स्थापन बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।जानबूझकर उप0 हेतु लापरवाही नहीं की गई है, बल्कि पुकार के समय अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण अधिवक्ता उप0 नहीं हो सके, ऐसी स्थिति में प्रकरण को पुनर्स्थापित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है, अन्यथा आवेदक को अपूर्तनीय क्षति होगी और आवेदक न्याय प्राप्त करने से वंचित हो जायेगा।

अस्तु श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रकरण को पुनर्स्थापित कर पुनः सुनवाई किये जाने की महान कृपा की जाय।

आवेदक

केतकी

द्वारा/अधि.

दिनांक–11.2.16 सुनील कुमार सिंगरौल,एड. रीवा

M·5069-III/16 जिला शहडोल

12-2-16

1- प्रकरण प्रस्तुत।
2. आवेदक की ओर से श्री सुनील कुमार सिंगरोल (द० उप०)
3- आवेदक अभिभाषक के तर्क मूल प्रकरण क्रमांक R-1668-तीन/13 अदम पैरवी दिनांक 11-2-16 के पुनर्स्थापन आवेदन पर सुना गया तथा प्रकरण का अवलोकन किया।
4. अनावेदक अभिभाषक श्री अजनी सोनी न्यायालय में उपस्थित रहे किन्तु पुनर्स्थापन आवेदन की प्रति प्राप्त करने से इंकार किया गया।
5. ... आवेदक अभिभाषक द्वारा बताया गया कि मूल प्रकरण में दिनांक 11-2-16 को उपस्थित होने में जानबूझकर लापरवाही नहीं की गयी है बल्कि पुकार के समय अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण उपस्थित नहीं हो सका। चूंकि आवेदक अभिभाषक द्वारा दिनांक 11-2-16 को पुनर्स्थापन आवेदन प्रस्तुत किया गया है तथा अनावेदक अभिभाषक श्री अजनी सोनी को इसकी जानकारी थी तथा उन्होंने आवेदन की प्रति प्राप्त नहीं की गयी है। — आवेदक का पुनर्स्थापन दिनांक 11-2-16 समय-सीमा में प्रस्तुत किया गया है। अतएव मूल प्रकरण क्रमांक R-1668-तीन/13 अदम पैरवी दिनांक 11-2-16 पुनः नम्बर में लिया जाता है। तदनुसार मूल प्रकरण में आगे की कार्यवाही की जावे।
6. प्रकरण पेजी से समाप्त होकर दा० द० हो।

सही/-